भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2983

उत्तर देने की तारिख 18.07.2019

वन अधिकार अधिनियम का उचित कार्यान्वयन

2983. श्री संजय सिंहः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि जनजातीय लोगों की स्थिति में सुधार लाने से संबंधित अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) संशोधन नियम , 2012 में यथा उल्लिखित नियमों का सही से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) और (ख) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में वन अधिकार अधिनियम , 2006) तथा इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की है।

यह मंत्रालय, वन निवासी समुदायों को वन अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियम तथा इसमें निहित नियमों में उल्लिखित निर्धारित प्रक्रिया पर बल देते हुए , अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किये जाने के लिए विभिन्न निर्देश / परामर्श जारी करता रहा है ताकि पात्र व्यक्तियों के दावे अस्वीकार न हों। योग्य दावों की गलत अस्वीकृति को रोकने के लिए सभी खारिज किये गये दावों की समीक्षा के लिए समय-समय पर इस मंत्रालय द्वारा राज्यों से अनुरोध किया गया है |

दिनांक 31.03.2019 तक राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार , कुल 42,37,853 दावे (व्यक्तिगत और समुदायिक) दायर किए गए थे, जिनमें से 19,64,048 अधिकार पत्र (व्यक्तिगत और समुदायिक) वितरित किए गए हैं और 17,53,504 (व्यक्तिगत और समुदायिक) दावों को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि कुल 5,20,301 दावे लंबित हैं और मान्यता / सत्यापन के विभिन्न चरणों में हैं।

*****